

पत्राचार की प्रतीति है। प्रभावकी के पेश रिपोर्ट  
 की अवलोकन किया गया। बाद पत्र में  
 क्रमांक 5266 व 5265 श्राद्ध के बाबत की  
 शक्ति पर प्रतिवादी शरण के विरुद्ध स्टाई रिपोर्ट  
 R.A धारा 188 के तहत पेश किया है। उक्त  
 विवाहित शक्ति प्रथम दृष्टया खाली है। श्राद्ध  
 के बाबत के समस्त खतबारे का हिस्सा बंधा  
 नहीं होने की स्थिति में होता है। सभी विपुला खाली  
 है। अतः दावा के R.A धारा 188 के तहत  
 R.A धारा 52 (बन्धन) कभी प्रस्तुत होगा  
 निर्यात आवश्यक होता है। अतः प्रथम निरस्त  
 क्रिमे जाने योग्य है। बाद पत्र के अंत में शक्ति के  
 सम्बंधित शब्द क्रमांक 111/14 उक्त रिपोर्ट  
 में वर्णन है। पूर्व में ही स्वारिज क्रिमे  
 जा चुका है। अतः बाद पत्र को मंजूर  
 होने की स्थिति दावा स्वारिज क्रिमे  
 है। प्रभावकी के समस्त श्राद्ध बाबत न्याय  
 क्रम की जायदाद बाबत तकनीक दायित्व दायर है।  
 निर्णय सुकली राजस्व लोक अदालत के  
 दिनांक 17/11/16 के मध्य गण के द्वारा किया गया।

*[Signature]*  
 उप जिला कलेक्टर  
 हिण्डोज सिटी, जिला करीली